



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.07.2021

### 1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बादलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 05.07.2021 को एनटीपीसी कट के पास से 01 अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ टिन्कू पुत्र बिशनपाल निवासी ग्राम धूममानिकपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है।

### घटना का विवरण-

दिनांक 03.07.2021 को थाना क्षेत्र में ग्राम धूममानिकपुर में अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ टिन्कू पुत्र बिशनपाल निवासी ग्राम धूममानिकपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा गांव के ही गुलजार नामक व्यक्ति की पैसों के लेन देन को लेकर शराब पिलाकर पानी में डुबोकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.07.2021 को अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ टिन्कू के विरुद्ध थाना बादलपुर पर मु0अ0सं0 269/21 धारा 302 भादवि. पंजीकृत किया गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रमोद उर्फ टिकू पुत्र बिशनपाल नि० ग्राम धूममानिकपुर थाना बादलपुर जिला  
गौतमबुद्धनगर

## अभियोग का विवरण-

मु.अ.स. 269/21 धारा 302 भादवि० थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर



**2- थाना फेस 3 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दहेज हत्या के अभियोग में  
वांछित 02 अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।**

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 06.07.2021 को दहेज हत्या के अभियोग में वांछित  
अभियुक्त 1. राजकुमार प्रजापति ( नन्दौई ) पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम भटौउदा तुलसी पट्टी  
जिला सुल्तानपुर हाल पता शीलू पलाप का मकान चोटपुर कालोनी थाना फेस 3 नोएडा 2.  
आशीष कुमार भार्गव (पति) पुत्र राम आसरे प्रजापति निवासी ग्राम धरौली मुखरिद जिला  
प्रतापगढ़ हाल पता शीलू पिल्लई का मकान चोटपुर कालोनी नियर सोम बाजार थाना फेस 3  
नोएडा गौतमबुद्धनगर 3. अभियुक्ता साधना ( ननद ) पत्नी राजकुमार प्रजापति निवासी ग्राम  
भटौउदा तुलसी पट्टी जिला सुल्तानपुर हाल पता शीलू पलाप का मकान चोटपुर कालोनी  
थाना फेस 3 नोएडा को गिट्टी प्लान्ट मोड़ चोटपुर कालोनी से गिरफ्तार किया गया है।

## घटना का विवरण-

दिनांक 06.07.2021 को वादी की बहन को अभियुक्तों द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित कर हत्या  
कर देने के सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु०अ०सं० 663/21 धारा 498 ए /304 बी भादवि व  
3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजकुमार प्रजापति पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम भटौउदा तुलसी पट्टी जिला सुल्तानपुर वर्तमान निवासी शीलू पलाप का मकान चोटपुर कालोनी थाना फेस 3 नोएडा
2. आशीष कुमार भार्गव पुत्र राम आसरे प्रजापति निवासी ग्राम धरौली मुखरिद जिला प्रतापगढ़ वर्तमान निवासी शीलू पिल्लई का मकान चोटपुर कालोनी नियर सोम बाजार थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. अभियुक्ता साधना पत्नी राजकुमार प्रजापति निवासी ग्राम भटौउदा तुलसी पट्टी जिला सुल्तानपुर वर्तमान निवासी शीलू पलाप का मकान चोटपुर कालोनी थाना फेस 3 नोएडा

## पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 663/21 धारा 498 ए /304 बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम

## 3- थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में 01 वांछित अपराधी गिरफ्तार।

थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 05.07.2021 को पेट्रोल पम्प सैक्टर 70 के पास से एक वांछित अपराधी शैलेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बैजनाथ श्रीवास्तव निवासी 87 ए रजत बिहार सै0 62 नोएडा थाना सैक्टर 58 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस 3 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2021 धारा 420,467,468,471 भादवि का वांछित अपराधी है।

## घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा फर्जी तरीके से कम्पनी का नक्शा बनाकर कम्पनी को दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 34/2021 धारा 420,467,468,471 भादवि में थाना फेस 3 पर पंजीकृत किया गया था।

## अभियुक्त का विवरण-

शैलेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बैजनाथ श्रीवास्तव निवासी 87 ए रजत बिहार सै0 62 नोएडा

थाना सैक्टर 58 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर



4- क्राइम ब्रान्च गौतमबुद्धनगर व थाना बिसरख पुलिस के संयुक्त प्रयास से आनलाइन ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 लैपटाप मय चार्जर, 03 मोबाइल फोन, 05 हैडफोन, 02 पर्स, डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड, डीएल, पेन कार्ड, आधार कार्ड व 02 डिजिटल घड़ी व 65950/-रु० नकद ठगी के व एक गाडी टाटा हैरियर बिना रजि० नम्बर बरामद।

क्राइम ब्रान्च गौतमबुद्धनगर व थाना बिसरख पुलिस के संयुक्त प्रयास से दिनांक 06.07.2021 को फ्लैट नं०-18084, 16 एवेन्यू गौर सिटी 2 से अभियुक्त 1. राजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि० मौहल्ला व्यास कालोनी बी 307 थाना व्यास कालोनी बीकानेर राजस्थान को मय एक एप्पल कम्पनी का आईफोन 04 अदद विभिन्न बैंकों के डेबिट/ एटीएम/क्रेडिट कार्ड मय दस्तावेज व 20950 रुपये नगद 2. सचिन पुत्र सुनील नि० एस 414/9 महीपालपुर नई दिल्ली को मय एक अदद एप्पल कम्पनी का आईफोन मय दस्तावेज व 25000/-रु० नगद 3. अभिषेक झा पुत्र सुशील झा नि० ग्राम बिशनपुर थाना फुलपरास जनपद मधुबनी बिहार वर्तमान निवासी महागुन फ्लैट नं०- 15132 टावर 6 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को मय एक मोबाईल फोन टचस्क्रीन 1\$ कम्पनी , 20000/-रु० नगद व मौके से 05 हेडफोन व 03 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु०अ०सं० 557/2021 धारा 420/406 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.राजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि० मौहल्ला व्यास कालोनी बी 307 थाना व्यास कालोनी बीकानेर राजस्थान

2.सचिन पुत्र सुनील नि0 एस 414/9 महीपालपुर नई दिल्ली ।

3.अभिषेक झा पुत्र सुशील झा नि0 ग्राम बिशनपुर थाना फुलपरास जनपद मधुबनी बिहार  
वर्तमान निवासी महागुन प्लेट नं0- 15132 टावर 6 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 557/2021 धारा 420/406 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना बिसरख  
गौतमबुद्धनगर ।

### बरामदगी का विवरण-

- 1.03 लैपटाप मय चार्जर,
2. 03 मोबाईल फोन,
3. 05 हेडफोन,
4. 02 पर्स मय डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड, डीएल, पेन कार्ड, आधार कार्ड
5. 02 डिजिटल घडी
6. 65950/-रू0 नकद ठगी के
7. एक गाडी टाटा हैरियर बिना रजि0 नम्बर



5- थाना बिसरख पुलिस द्वारा धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से  
01 वर्ना कार( जिस पर फर्जी न0 प्लेट लगी हुयी) बरामद।

थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक 06.07.2021 को पेट्रोल पम्प अमोद भाटी द्वारा सूचना दी गयी की वर्ना गाडी सवार तीन अभियुक्तों द्वारा मेरे पेट्रोल पम्प से चार हजार रुपये का पेट्रोल डलवाकर भाग गये है सूचना प्राप्त होते ही बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. आर्यन पुत्र जितेन्द्र प्रताप नि0 प्लैट नं0 201 ग्रह प्रवेश सै0 77 नोएडा 2. रोहन हाण्डा पुत्र हरीश कमल हाण्डा नि0 अरिहन्त आर्डन थाना बिसरख गौमबुद्धनगर 3. आयुष त्रिपाठी पुत्र मनोज त्रिपाठी नि0 डी - 01 सै0 76 रवेन्द्र नगर नई दिल्ली को मय एक गाडी वर्ना जिस पर फर्जी नं0 प्लेट लगी है के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 558/2021 धारा 420/406/482 भादवि पंजीकृत किया गया है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.आर्यन पुत्र जितेन्द्र प्रताप नि0 प्लैट नं0 201 ग्रह प्रवेश सै0 77 नोएडा ।
- 2.रोहन हाण्डा पुत्र हरीश कमल हाण्डा नि0 अरिहन्त आर्डन थाना बिसरख गौमबुद्धनगर ।
- 3.आयुष त्रिपाठी पुत्र मनोज त्रिपाठी नि0 डी - 01 सै0 76 रवेन्द्र नगर नई दिल्ली ।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

- 1.मु0अ0सं0 558/2021 धारा 420/406/482 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

### **बरामदगी का विवरण:**

एक अदद गाडी वर्ना जिस पर फर्जी नं0 प्लेट लगी है ।



**6- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला एक तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 60 किलो ग्राम अवैध गाँजा (कीमत करीब 05 लाख रूपये) बरामद।**

थाना फेस 2 पुलिस द्वारा दिनांक 06/07/2021 को जे.पी. फ्लाईओवर के नीचे सैक्टर 93 की सर्विस रोड से एक अभियुक्त टिकू शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा निवासी ग्राम नंगला अहवासी थाना इगलास जिला अलीगढ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से कुल 60 किलो ग्राम अवैध गाँजा (कीमत करीब 05 लाख रूपये) बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 2 पर मु0अ0स0 387/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

टिकू शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा निवासी ग्राम नंगला अहवासी थाना इगलास जिला अलीगढ

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 387/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर

**बरामदगी का विवरण-**

कुल 60 किलोग्राम अवैध गाँजा (कीमत करीब 05 लाख रूपये)

